



छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 683]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2020 — पौष 8, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-01/2019/सात-4.- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील निर्मित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, जिसे उक्त संहिता की धारा 13 द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात :-

अनुसूची

स.क.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	धमतरी	धमतरी, मगरलोड एवं नगरी	कुकरेल	वर्तमान तहसील धमतरी के राजस्व निरीक्षक मण्डल कोलियारी (आंशिक) के पटवारी हल्का नं. 40, 41, 42 एवं 43 के कुल 12 ग्राम। वर्तमान तहसील धमतरी के राजस्व निरीक्षक मण्डल रुद्री के पटवारी हल्का नं. 44, 51 एवं 52 के कुल 24 ग्राम। वर्तमान तहसील मगरलोड के राजस्व निरीक्षक मण्डल मोहंदी (आंशिक) के पटवारी हल्का नं. 27, 28, 30 एवं 31 के कुल 19 ग्राम। वर्तमान तहसील नगरी के राजस्व निरीक्षक मण्डल कुकरेल के पटवारी हल्का नं. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 एवं 09 के कुल 52 ग्राम। अतः वर्तमान तहसील धमतरी, मगरलोड एवं नगरी के कुल 04 राजस्व निरीक्षक मण्डल के कुल 20 पटवारी हल्के, 38 ग्राम पंचायत, 107 ग्राम, 03 आंशिक राजस्व निरीक्षक मण्डल नवीन तहसील “कुकरेल” में शामिल होंगे।	उत्तर — तहसील धमतरी, जिला-धमतरी दक्षिण — तहसील नगरी, जिला धमतरी एवं तहसील नरहरपुर तथा चारामा, जिला-कांकेर पूर्व — तहसील मगरलोड एवं नगरी, जिला-धमतरी पश्चिम — तहसील धमतरी, जिला-धमतरी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.आर. ठाकुर, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 29th December 2020

NOTIFICATION

No. F 11-01/2019/Seven-4.-In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government, alters the limits of Tehsil specified in column (3), create a new Tehsil specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in Schedule below, the same having been previously published as required by Section 13 of the said Code, namely :-

SCHEDULE

S.No.	District	Present Tehsil	New Tehsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dhamtari	Dhamtari, Magarlod and Nagari	Kukrel	Total 12 villages of Patwari Halka No. 40, 41, 42 and 43 of Revenue Inspector Mandal Koliyari (Partial) of present Tehsil Dhamtari. Total 24 villages of Patwari Halka No. 44, 51 and 52 of Revenue Inspector Mandal Rudri of present Tehsil Dhamtari. Total 19 villages of Patwari Halka No. 27, 28, 30 and 31 of Revenue Inspector Mandal Mohandi (Partial) of present Tehsil Magarlod. Total 52 villages of Patwari Halka No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 and 09 of Revenue Inspector Mandal Kukrel of present Tehsil Nagari. Hence, 107 villages, 38 Gram Panchayats, 20 Patwari Halka, total 04 Revenue Inspector Mandal and 03 Patial Revenue Inspector Mandal of Present Tehsil Dhamtari, Magarlod and Nagari, Shall be included in new Tehsil "Kukrel".	North - Tehsil Dhamtari, District-Dhamtari South - Tehsil Nagari, District-Dhamtari and Tehsil Narharpur and Charama, District-Kanker. East - Tehsil Magarlod and Nagari, District-Dhamtari. West - Tehsil Dhamtari, District-Dhamtari.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.R. THAKUR, Joint Secretary.